## **Delhi Development Authority**

**Land Sales Branch (Residential)** 

Terms and conditions for sale by Auction, by the Delhi Development Authority, on behalf of the President of India, on free hold basis of residential plots under the Delhi Development Authority. (Disposal of Developed Nazul Land) Rules-1981.

#### I. ELIGIBILITY

- 1.(a) Any individual, who is not a minor and is a citizen of India, may purchase Free Hold rights in any one plot, by bid in the auction if he/she, his wife/her husband or any of his/her minor or dependent children or dependent parents or dependent minor sisters and brothers, ordinarily residing with him/her do not own in full or in part on Lease Hold or Free Hold basis, any residential plot or Flat or house/or have been allotted on hire purchase basis residential plot or house exceeding 67 sq. mtrs. in the Union Territory of Delhi, and neither he/she has transferred any residential plot/house/flat to anyone in the past, nor has transferred his/her membership in any Cooperative House Building Society/ C.G.H.S. in Delhi.
- 1.(b) Public Sector Banks Companies & Firms shall be allowed to participate in auction programme of residential properties provided the premises is used for bonafide residential purpose of their staff. They will be allowed to purchase only one plot as specified in Nazul Rule.
- 1.(c) The Bidder/Purchaser must be a citizen of India or an NRI or a Person of Indian Origin (P.I.Os). The permission for NRIs & PIOs shall be governed under FEMA regulation framed under notification FEMA No.21/2000 R.B. dated May 03, 2000. The person of Indian origin will mean an individual (not being a citizen of Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka or Afghanistan or China or Iran or Nepal or

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

भूमि विक्रय शाखा (रिहायशी)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के अंतर्गत आवासीय प्लॉटों में फ्री होल्ड धारित अधिकारों की, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी द्वारा बिक्री के निबंधन व शर्ते:

#### **l**. पात्रता

- 1.(क) कोई भी व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं है और भारत का नागरिक है, यदि उसके या उसकी पत्नी / उसके पति या उसके किसी अवयस्क या आश्रित बच्चे या आश्रित अभिभावक या आश्रित अवयस्क बहन या भाई, जो सामान्यतः उसके साथ रहते हैं, के स्वामित्व में दिल्ली संघ राज्य–क्षेत्रों में पट्टा धारिता या फ्री होल्ड आधार पर 67 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय प्लॉट या पलैट या मकान में पूर्ण या आंशिक भाग नहीं हैं / या किराया-खरीद आधार पर कोई आवासीय प्लॉट या मकान आवंटित नहीं किया गया है और न तो कोई उसे कोई आवासीय प्लॉट / मकान या फ्लैट आवंटित किया गया है न ही उसने दिल्ली में किसी सहकारी आवास सोसायटी में अपनी सदस्यता अंतरित की है, नीलामी में बोली लगा कर किसी प्लॉट में अपनी कोई सदस्यता अंतरित की है, नीलामी में बोली लगा कर किसी प्लॉट में अपनी कोई सदस्यता अंतरित नहीं की है, नीलामी में बोली देकर फ्री होल्ड अधिकार खरीद सकता है।
- 1.(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आवासीय संपत्तियों की नीलामी कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होगी, बशर्ते कि परिसर का उपयोग उनके स्टाफ के वास्तिवक उद्देश्य से किया जाए। उन्हें सिर्फ एक प्लॉट नजूल रूल के तहत खरीदने की अनुमति है।
- 1.(ग) बोलीदाता / खरीदार भारत का नागरिक हो या अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) हो या भारतीय मूल का व्यक्ति (पी.आई.ओ.एस.) हो। अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) या भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.एस.) को इस प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान एफ.ई.एम.ए. अधिनियम के तहत धारा एफ.ई.एम.ए. से 21 / 2000 तिथि मई 3, 2000 के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति (जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान के

Bhutan), who (i) at any time, held indian Passport, or (ii) who or either of whose father or grand father was a citizen of India by virtue of the constitution of India or the Citizenship Act, 1955(57 of 1955) and he or she is competent to enter into contract. Attested copy of passport to be attached with Bid application forms by NRI/PIO to establish the identity.

- 2. If the purchaser is married, then bid will have to be given in the joint names of wife and husband and if unmarried, he/she will have to apply for inclusion of name of wife/husband after marriage.
- 3. No person whose bid has been accepted by the Officer conducting the Auction shall be entitled to withdraw his bid. Entry into the Auction Hall shall be restricted only to such persons who carry a demand draft in favour of DDA for a sum of Rs. 50 lakhs (Rs. Fifty Lakhs) for bigger size plots to be auctioned on 13th, 14th March 2013 and Rs. 12 lakhs (Rs. Twelve Lakhs) for smaller size plots to be auction on 15th March 2013. Such draft shall have to be deposited with the Officer conducting Auction prior to the commencement of the auction. Where the Earnest Money as referred in para-II(4) below is not paid, it shall be deemed that the bid has been revoked/withdrawn and the amount of entry fee shall stand forfeited to the DDA.
- 4. A change in the name of the intending purchaser shall not be allowed at any cost till the execution of conveyance deed.
- 5. The area of residential plots announced are only approximate, and the persons whose bids are accepted should be prepared to accept variation up to 15% either way in the area announced, subject to adjustment of cost in proportion to the amount of the accepted bid.

# II BIDDING AT AUCTION AND SUBMISSION OF APPLICATION:

1. The Officer, conducting the Auction may, without assigning any reasons, withdraw any plot from the Auction at any stage.

नागरिक नहीं हैं) से होगा। (i) वह किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट का धारी हो या (ii) उसके पिता या दादा भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) के तहत भारत का नागरिक हो और वह अनुबंध करने में सक्षम हो। पहचान स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति बोली के आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।

- 2. यदि खरीदार विवाहित है तो बोली पत्नी और पित के संयुक्त नाम से देनी होगी यदि खरीददार अविवाहित है तो उसे विवाह के बाद अपनी पत्नी/अपने पित का नाम शामिल करने के लिए आवेदन करना होगा।
- 3. कोई भी व्यक्ति, जिसकी बोली नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई है, अपनी बोली वापस लेने का हकदार नहीं होगा। नीलामी हॉल में प्रवेश केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होगा जो दि. वि. प्रा. के पक्ष में देय 50 लाख रु. की राशि वाले बड़े प्लॉट दिनांक 13 एवं 14 मार्च, 2013 को एवं 12 लाख रु. की राशि वाले छोटे प्लॉट 15 मार्च, 2013 को होने वाली नीलामी का डिमांड ड्राफ्ट अपने साथ लाएंगे। यह डिमांड ड्राफ्ट नीलामी प्रारंभ होने से पहले नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी के पास जमा करना होगा। यदि नीचे पैरा ॥(4) में उल्लिखित बयाना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि बोली रद्द कर दी गई है / वापस ले ली गई है तथा प्रवेश शुल्क राशि दि. वि. प्रा. द्वारा जब्त कर ली जायगी।
- इच्छुक क्रेता के नाम परिवर्तन की अनुमित किसी भी कीमत पर पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले नही दी जाएगी।
- 5. घोषित आवासीय प्लॉटों का क्षेत्रफल केवल अनुमानित है और जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकार की जाएगी वे घोषित क्षेत्रफल में 15 प्रतिशत तक कमी या अधिकता स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। उनकी स्वीकृति बोली में लागत उसी अनुपात में समायोजित कर ली जाएगी।

#### II नीलामी में बोली देना और आवेदन पत्र जमा कराना

 नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी किसी भी प्लॉट को, कोई कारण बताए बिना किसी भी चरण पर वापस ले सकता है।



- 2. The bid shall be for the amount of premium offered for the Free Hold rights in the plot. The plot is being auctioned on "as is where the basis". It is presumed that the intending puchaser has inspected the site and has familiarized himself/herself with the prevalent site conditions in all respects before offering the bid. If any tree exist in any of the plot, it would be responsibility of the auction purchaser to get it removed after obtaining approval of the concerned Authorities and DDA will not be a party for obtaining permission etc. after fall of hammer.
- 3. Brochure and the application form can also be downloaded from our website www.dda.org.in. In case the downloaded application form is submitted then a demand draft of Rs. 525/- will have to be given in addition to the demanded amount as mentioned in the brochure.
- 4. The Officer condunting the auction shall normally accept the bids, subject to confirmation by the Competent Authority, the highest bid offered at the auction and the person whose bid has been accepted shall pay, at the fall of hammer, Earnest Money, a sum equivalent to 25% of bid amount by Pay Order/Demand Draft in favour of DDA. The amount of Earnest Money is to be deposited in Central Bank of India/State Bank of India. Vikas Sadan, INA, New Delhi, If the Earnest Money is not paid, it shall be deemed that the bid has been revoked/withdrawn and the amount, as specified in Clause-1(3) above, shall stand forfeited to DDA.
- 5. The Officer conducting the auction may, for reasons to be recorded in writing and recommend to the Competent Authority to reject any bid including the highest bid.
- 6. The successful bidder shall submit duly filled in application, in the form attached, immediately after the close of the auction of the plot in

- 2. बोली, प्लॉट में फ्री होल्ड अधिकारों के लिए प्रशुल्क की राशि के लिए होगी। प्लॉट की नीलामी 'जैसा है, जहां है' आधार पर की जाएगी। इसलिए यह मान लिया जाएगा कि इच्छुक खरीददार ने स्थल का निरीक्षण कर लिया है और बोली देने से पहले वह स्थल की मौजूदा स्थिति से भली—मांति परिचित है। यदि कसी प्लॉट में कोई पेड़ मौजूद है तो यह नीलामी में खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त कर इसे हटवाए और दिल्ली विकास प्राधिकरण नीलामी हथौड़े की चोट के बाद अनुमति आदि प्राप्त करने में एक पक्षकार नहीं होगा।
- 3. विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र वेबसाइट www.dda.org.in के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यदि वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किया गया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके साथ 525 रुपए का एक धनादेश, विवरण पुस्तिका में दर्शायी गई मांग राशि के अलावा भी संलग्न करना होगा।
- 4. नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वार पुष्टि किए जाने की शर्त पर सामान्यतः नीलामी में दी गई उच्चतम बोली स्वीकार करेगा और जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की गई है, वह हथौड़ा गिरने पर बयाना राशि के रूप में बोली की राशि के 25 प्रतिशत की समकक्ष राशि का दि. वि. प्रा. के पक्ष में देय पेय ऑर्डर / डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा भुगतान करेगा। बयाना राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिय़ा, भारतीय स्टेट बैंक, विकास संदन, आई.एन.ए, नई दिल्ली में जमा करानी है। यदि बयाना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि बोली रद्द कर दी गई है और उक्त खंड—1(3) में निर्दिष्ट राशि दि. वि. प्रा. में जब्त कर ली जाएगी।
- 5. नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर उच्चतम बोली सहित किसी भी बोली को रद्द कर सकता है।
- 6. सफल बोलीदाता, प्लॉट की नीलामी बंद होने के तत्काल बाद, संलग्न फॉर्म में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा कराएगा। इच्छुक खरीददार, शेष राशि का चालान और

question. The intending purchaser shall submit an affidavit and an undertaking as per the specimen attached, while depositing the challan of balance payment along with other documents.

अन्य दस्तावेज जमा कराने के समय संलग्न नमूने के अनुसार शपथ पत्र और एक वचन बंध पत्र जमा कराएगा।

- 7. If the bid is not accepted, the Earnest Money will be refunded to the bidder without any interest. If DDA has to withdraw the residential plot from auction (including not handing over the residential plot to successful bidders due to any reason like excess area or less area, etc.) then the E.M. and premium deposited will be returned to the auction purchaser without any interest up to a period of six months from the date of auction. Beyond six months period, DDA will pay an interest of 7% for the amount lying with DDA for such period.
- 7. यिद बोली स्वीकार नहीं की जाती है तो बयाना राशि बिना किसी ब्याज के बोली दाता को वापस कर दी जाएगी। यदि दि. वि. प्रा. नीलामी से आवासीय प्लॉट वापस लेता है (अधिक क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल आदि जैसे किसी कारण से सफल बोलीदाता को आवासीय प्लॉट का कब्जा न देने सहित) तो नीलामी खरीदार को, नीलामी की तारीख से 6 महीने के अवधि तक जमा कराई गई बयाना राशि एवं प्रशुल्क की राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। छह महीने से अधिक के बाद दि. वि. प्रा. के पास
- 8. The demand-cum-allotment letter would be sent to the successful bidder immediately after the bid is accepted by the competent Authority. The highest bidder is required to make payment of balance 75% bid amount, as demanded vide said demand letter referred to above, within 90 days from the date of issue of the demand letter by Bank Draft/Pay Order only in the branches of Central Bank of India/State Bank of India, Vikas Sadan INA. New Delhi . The Competent Authority may, in his absolute discretion may extend the last date of payment up to the maximum period of 180 days, beyond the last date for payment with reference to the date of issue of demand letter, subject to payment of interest on the balance amount @12.50% p.a where the delay does not exceed 30 days and @15% where the delay exceeds 30 days.
- 8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली को स्वीकार करने के तुरंत बाद सफल बोलीदाता को मांग—एवं—आवंटन पत्र भेजा जाएगा। उच्चतम बोलीदाता को उक्त मांग—पत्र के द्वारा मांगी गई बोली की राशि के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान, मांग पत्र के जारी होने की तिथि से 90 दिनों के अंतर्गत बैंक ड्राफ्ट / भुगतान आदेश के द्वारा केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली की शाखाओं में करना होगा। सक्षम प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेक के द्वारा, 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष और 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेने पर मांग—पत्र जारी हने की तिथि को भुगतान की अंतिम तिथि के बाद अधिकतम तिथि के बाद अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ा सकते हैं।

Note: The successful bidder may pay the cost of the plot by availing loan facility from financial institutions for which the DDA offer NOC/mortgage permission.

टिप्पणीः सफल बोलीदाता वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ उठा कर प्लॉट की लागत का भुगतान कर सकता है, जिसके लिए दि. वि. प्रा. अनापत्ति / बंधक अनुमति देती है।

- 9. Four copies of Conveyance deed alongwith the copy of site plan will be supplied to the
- स्टांप कलैक्टर के कार्यालय से पट्टा विलेख कागजातों पर स्टांप लगवाने के लिए उच्चतम बोलीदाता को मांग-पत्र

9.



highest bidder along with the demand letter to get the conveyance deed papers stamped from the Office of Collector of Stamps. The Earnest Money shall stand forfeited and the auction purchaser shall not be liable to any compensation whatsoever if he/she fails to submit conveyance deed within 90 days from the date of issue of same from the office of Deputy Director(L.A)/Residential. It shall be the sole responsibility of the auction purchaser to submit the stamped conveyance deed papers alongwith the site plan, before issue of the possession letter. The possession of the plot will be handed over only after the submission of the above said documents in the office of Deputy Director(L.A.)Residential. After taking the possession, the successful auction purchaser is required to get the conveyance deed executed by the Lease Administration Officer. In case the execution of conveyance deed is not completed within the period of 3 months from the date of issue of the possession letter from the office of Deputy Director-(L.A.) on account of any lapse on the part of auction purchaser, auction for cancellation of allotment of residential plot will be taken.

के साथ पट्टा विलेख की चार प्रतियां और साइट-प्लान की प्रति दी जाएगी। यदि उपनिदेशक (पट्टा प्रशासन)/ आवासीय के कार्यालय से पट्टा विलेख प्रस्तुत करने में नीलामी क्रेता असफल रहे, तो बयाना राशि जब्त हो जाएगी और चाहे कुछ भी हो, उसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यह नीलामी क्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वह कब्जा-पत्र जारी होने से पूर्व स्टांपित पट्टा पेपर और साइट-प्लान प्रस्तृत करे। उपनिदेशक (पट्टा प्रशासन) / आवासीय के कार्यालय में उपर्युक्त उक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर ही प्लॉट का कब्जा सौंपा जाएगा। कब्जा लेने के पश्चात सफल नीलामी-क्रेता को पट्टा प्रशासन अधिकारी द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख प्राप्त करना अपेक्षित है। उपनिदेशक (पट्टा प्रशासन) के कार्यालय से कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से तीन महीनों की अवधि के अंदर यदि नीलामी क्रेता की किसी कमी के कारण पट्टा विलेख निष्पादन पुर्ण नहीं होता, तो इसे निबंधन और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा तथा आवासीय प्लॉट के आवंटन के रद्दकरण की कार्यवाही की जाएगी।

- 10. In case, the highest bidder fails to make the balance 75% amount within the stipulated period, as mentioned in the demand letter or within such extended period, if any granted by the Competent Authority on his written application, the bid shall automatically stand cancelled and the Earnest Money shall stand forfeited. In that eventuality, the competent authority shall be competent to re-auction the residential plot.
- 11. After making the payment of balance 75% of amount and intimating thereof, the highest bidder is required to appear before the Deputy Director(L.A.)/Residential in Person or through an authorized representative along with the third copy of bank challan in support of
- 10. यदि मांग पत्र में उल्लिखित निर्धारित अविध अथवा उसके लिखित आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई किसी अविध के अंदर, यदि उच्चतम बोलीदता शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो बोली स्वतः रद्द हो जाएगी और बयाना राशि जब्त हो जाएगी। उस स्थिति में सक्षम प्रधिकारी, आवासीय प्लॉट की पुनः नीलामी करने के लिए सक्षम होगा।
- 11. शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के पश्चात् उसकी सूचना देते हुए उच्चतम बोलीदाता को व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपनिदेशक (पट्टा प्रशासन) आवासीय के समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित है। उन्हें अपने साथ शेष 75 प्रतिशत राशि के भुगतान के प्रमाण के रूप में बैंक चालान की तीसरी प्रति, नीलामी

payment of balance 75% amount, terms and conditions of auction duly typed on a nonjudicial stamp paper worth Rs. 10/- signed by auction purchaser(s), 5 recent passport size photographs of individual or combined, as the case may be, the conveyance deed papers duly stamped, an affidavit, an undertaking and any other documents as indicated in the demand letter. On submission of all documents and subject to verification of the payment made by the auction purchaser, the possession letter will be issued with in 30 days and the same can also be collected in person by the auction purchaser. The possession letter so issued will carry the date on which the physical possession of the plot will be handed over to the auction purchaser at site. In case, the purchaser fails to turn up at site on the date and time fixed for handing over possession, the next date of possession will be fixed only on payment of Rs.1000/-p.m. on account of penalty for not taking over the possession by the purchaser. The possession, however, must be taken within 3 months from the date fixed for the same and in case, possession is not taken in 3 months, then the allotment shall stand cancelled and the earnest money shall stand forfeited without any notice.

(क्रेता)ओं द्वारा हस्ताक्षरित 10 रुपए के नॉन ज्युडिशियल स्टांप पेपर पर विधिवत टंकित की हुई नीलामी की निबंधन और शर्तों, जैसा भी मामला हो, 5 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो (व्यक्तिगत अथवा संयुक्त), विधिवत रूप से स्टाम्पित पट्टा पेपर, एक वचनबंध और मांग पत्र में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है। सभी दस्तावेजों के प्रस्तृत होने और नीलामी क्रेता द्वारा किए गए भूगतान के आधार पर 30 दिनों के अन्दर कब्जा–पत्र जारी किया जाएगा और जिसे नीलामी क्रेता द्वारा व्यक्तिगत रुप से भी प्राप्त किया जा सकता है। जारी किये गए कब्जा-पत्र पर तिथि लिखी होगी. जिस पर नीलामी क्रेता को स्थल पर वास्तविक कब्जा दिया जाएगा। यदि कब्जा देने की तिथि और नियत किए गए समय पर क्रेता स्थल पर आने में असफल रहे तो क्रेता द्वारा कब्जा न लिए जाने पर पैनल्टी के रुप में 100 / - रु. प्रतिमाह के भुगतान करने पर ही कब्जा लेने की आगामी तिथि नियंत की जाएगी। तथापि, 75 प्रतिशत शेष भूगतान करने की तिथि से 3 महीनों के अन्दर कब्जा ले लिया जाना चाहिए और यदि 3 महीनों में कब्जा नहीं लिया जाता है तो आबंटन रह हो जाएगा और बिना किसी नोटिस के बयाना राशि जब्त हो जाएगी।

12. In case of default, breach or non-compliance of any of the terms and conditions of the auction or any fraud, misrepresentation or concealment of facts or non-payment of balance premium within the due date by the bidder/intending purchaser, the Earnest Money shall stand forfeited.

12. नीलामी के निबंधन और शर्तों का पालन न करने, चूक करने, उल्लंघन करने के मामले में अथवा किसी धोखे अथवा तथ्यों की गलतबयानी अथवा छुपाने अथवा बोलीदाता / इच्छुक क्रेता द्वारा देय तिथि के अंदर शेष प्रीमियम के भुगतान न करने पर बयाना राशि जब्त हो जाएगी।

#### **III** CONSTRUCTION ON PLOT

#### III. प्लॉट पर निर्माण

 The purchaser shall have to erect and complete the residential building in accordance with the type, design and other architectural features if any, prescribed by the Delhi Development Authority, after obtaining and in accordance with the sanction of the 1. क्रेता को प्लॉट आवासीय भवन का निर्माण एवं समापन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टाइप, डिजाइन और अन्य वास्तुकला सम्बन्धी विशेषताओं, यदि कोई हो, के अनुसार करना होगा। उसे यह कार्य नगर निगम या अन्य संबंधित प्राधिकरणों के संबंधित नियमों, उपविधियों आदि के अनुसार, जैसी भी स्थित हो, आवश्यक डिजाइन,

# RELIGION AUTOMOTIVA DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRA

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

building plan with necessary design, plans and specifications from proper Municipal or other authorities concerned in accordance with their respective rules, bye-laws etc., as the case may be. The purchaser shall not start construction before the said plan etc. are fully sanctioned by the authorities aforesaid. The purchaser shall not start any activity in connection with the construction before execution and registration of conveyance deed.

नक्शों एवं विशिष्टयों सहित भवन नक्शे की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद और उनके अनुसार करना होगा। क्रेता पूर्वोक्त प्राधिकरणों द्वारा पूरी तरह से उक्त नक्शों आदि की स्वीकृति लेने से पहले निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगा। क्रेता पट्टा विलेख के निष्पादन और पंजीकरण से पहले निर्माण के संबंध में कोई कार्यकलाप शुरू नहीं करेगा।

- 2. The plot building thereon shall not be used for a purpose other than that of residential.
- 3. The allottee shall not sub-divide the plot or amalgamate with any other plot.
- 4. The purchaser will be liable to pay all rates, taxes, charges and assessment of every description in respect of the plot whether assessed, emerged or imposed on the plot or on the building constructed there on or on the Land Lord or tenent in respect, thereof.
- 5. All dues payable to the DDA in respect of the plot or the building erected thereon shall be recoverable as arrears of land revenue and will be first charge on property.
- 6. If the conveyance of the plot is obtained by any concealment, misrepresentation, misstatement or fraud and if there is any breach of conditions of the auction the conveyance deed will be terminated and the possession of the plot and the building thereon will be taken over by the DDA and the purchaser will not be entitled to any compensation/refund.

#### IV. COST & EXPENSES

 The terms and conditions of the auction shall be strictly followed by the successful auction purchaser and in case of any breach of terms and conditions of the auction, conveyance deed the allotment shall stand cancelled. The orders of the competent Authority in respect of

- प्लॉट या उस पर निर्मित भवन का उपयोग आवासीय उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया
- 3. आवंटित प्लॉट को उपविभाजित करने या किसी अन्य प्लॉट के साथ मिलाने का हकदार नहीं होगा।
- 4. क्रेता खरीदार को प्लॉट से सेबंधित सभी दरों, करों, प्रभारों और प्रत्येक तरह के निर्धारणों का भुगतान करना होगा, चाहे वे प्लॉट या उस निर्मित भवन पर या उसके स्वामी अथवा उससे संबंधित किराएदार पर निर्धारित किए जाने हों, उससे लिए जाने हों या उस पर लगाए जाने हों।
- 5. प्लॉट या उस पर निर्मित भवन के संबंध में दि. वि. प्रा. को देय सभी बकाया राशि भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और संपत्ति पर प्रथम प्रभार लिया जाएगा।
- 6. यदि प्लॉट का पट्टा किसी तरह के मिथ्या विवरण, मिथ्या कथन या छल कपट से प्राप्त किया जाता है और यदि नीलामी की शर्तों का कोई उल्लंघन किया जाता है, तो पट्टा विलेख को दिया जाएगा तथा प्लॉट और उस पर बने हुए भवन का कब्जा दि. वि. प्रा. पट्टाकर्ता द्वारा ले लिया जाएगा तथा खरीददार किसी तरह के मुआवजे / वापसी का हकदार नहीं होगा।

#### IV. लागत एवं खर्चे

1. सफल नीलामी क्रेता द्वारा नीलामी के निबंधनों एवं शर्तों का पालन सख्ती से किया जाएगा और नीलामी या पट्टा विलेख के निबंधनों एवं शर्तों के किसी तरह के उल्लंघन के मामले में आवंटन रद समझा जाएगा। नीलामी की किसी शर्त की व्याख्या के बारे में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होगें और उस कार्यवाही के

the interpretation of any conditions of the auction, conveyance deed shall be final and binding and shall not be called in action in any proceedings.

संबंध में कोई कारवाई नहीं की जाएगी।

- 2. The cost and expenses of preparation, stamping and registration of the conveyance deed and its copies and all other incidental expenses shall be paid by the allottee/ purchaser. The purchaser shall also pay any other duty charges as may be levied by any other Authority.
- पट्टा विलेख एवं उसकी प्रतियां तैयार करने, स्टांप लगवाने और पंजीकरण करवाने की लागत एवं खर्चों तथा सभी अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान आबंटिती / क्रेता द्वारा किया जाएगा। क्रेता को किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा वसूल किए जाने वाले किसी अन्य ड्यूटी प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।
- V. For any other violation/breach of the terms and conditions aforesaid, the bid of the purchaser/allottee shall be liable to be cancelled and the conveyance deed if, already executed, liable to be determined and the allottee/purchaser shall not be entitled to any compensation whatsoever, or to the return of any premium to him/her.
- V. पूर्वोक्त निबंधनों एवं शर्तों के किसी तरह के उल्लंधन/भंग करने के लिए क्रेता/आबंटिती की बोली रद्द कर दी जाएगी और पट्टा यदि पहले ही निष्पादित किया जा चुका हो, समाप्त कर दिया जाएगा और आबंटित/क्रेता किसी भी तरह के मुआवजे, चाहे जो भी हों या उसे किसी प्रशुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा।
- VI. If there is any discrepancy/ contradiction in translation from English to Hindi, the language used in English version will hold good.
- VI. यदि अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने पर किसी प्रकार की विसंगति/विरोधाभास हो तो अंग्रेजी संस्करण में प्रयुक्त भाषा को ही मान्यता दी जाएगी।

	स्थान	Place
उच्चतम बोलीदाता के / उनकी तरफ से / आवेदक की तरफ से हस्ताक्षर	दिनांक	Date Signature of the highest bidder/ On his/her behalf/ On behalf of the applicant
प्रतिहस्ताक्षर (नीलामी संचालन अधिकारी)		Countersigned by  (Officer conducting the auction)



## Date of Auction: 13th March, 2013

SI. No.	Name of colony	Plot No.	Area of the Plot (in sqmt.)	Reserve Price (in Rs.)
1	Pitam Pura	F-1-U/11	162.44	5,53,92,040/-
2	Paschim Vihar	A-4/401	73.50	2,50,63,500/-
3	Vivek Vihar, Ph-II	A-131	123.69	2,84,48,700/-
4	Rohini, Sector-18, Pkt-H-3	10 (Corner)	200.00	7,48,00,000/-
5	Rohini, Sector-18, Pkt-H-3	11 (Corner)	200.00	7,48,00,000/-
6	Rohini, Sector-18, Pkt-H-3	12	200.00	6,80,00,000/-
7	Rohini, Sector-18, Pkt-H-3	53 (Corner)	200.00	7,48,00,000/-
8	Rohini, Sector-18, Pkt-H-3	67 (Corner)	200.00	7,48,00,000/-
9	Rohini, Sector-18, Pkt-H-3	68	200.00	6,80,00,000/-
10	Rohini, Sector-20, Pkt-16	102	200.00	3,60,00,000/-
11	Rohini, Sector-20, Pkt-16	135	200.00	3,60,00,000/-
12	Rohini Sector-8, F-19	59	120.00	4,08,00,000/-
13	Dwarka, Pkt-B-10, Sector-13	31	179.59	4,26,70,584/-

## Date of Auction: 14th March, 2013

SI. No.	Name of colony	Plot No.	Area of the Plot (in sqmt.)	Reserve Price (in Rs.)
1	Zafarabad	A-39 (Corner)	140.00	2,20,22,000/-
2	Zafarabad	B-32 (Corner)	140.00	2,20,22,000/-
3	Zafarabad	B-77	138.18	1,97,59,740/-
4	Zafarabad	C-17	137.55	1,96,69,650/-
5	Dwarka, Pkt-B-10, Sec-13	32	179.59	4,26,70,584/-
6	Vikas Puri	C-500	103.04	3,50,33,600/-
7	Vikas Puri	C-666	108.04	3,67,33,600/-
8	Vikas Puri	C-136 (Corner)	160.00	5,98,40,000/-
9	Yamuna Vihar	C-10/131	126.00	2,59,56,000/-
10	Yamuna Vihar	C-10/171	69.72	1,43,62,320/-
11	Rohini, Sector-15, Pkt-G-17	18	90.00	3,06,00,000/-

## Date of Auction: 15th March, 2013

SI. No.	Name of colony	Plot No.	Area of the Plot (in sqmt.)	Reserve Price (in Rs.)
1	Rohini, Sec1, Pkt-D-1	17	31.69	63,38,000/-
2	Rohini, Sec1, Pkt-D-1	549	31.69	63,38,000/-
3	Rohini, Sec2, Pkt-7	62 (Corner)	33.48	73,65,600/-
4	Rohini, Sec3, Pkt-D-15	26	31.69	63,38,000/-
5	Rohini, Sec3, Pkt-E-18	149	31.69	63,38,000/-
6	Rohini, Sec4, Pkt-A-4	146	31.69	63,38,000/-
7	Rohini, Sec6, Pkt-C-4	247	31.69	63,38,000/-
8	Rohini, Sec6, Pkt-C-4	269	31.69	63,38,000/-
9	Rohini, Sec6, Pkt-C-5	268	31.69	63,38,000/-
10	Rohini, Sec7, Pkt-G-23	173	31.69	63,38,000/-
11	Rohini, Sec8, Pkt-A-2	45	31.69	63,38,000/-
12	Rohini, Sec 11, Pkt-4, Block-G	192	31.69	63,38,000/-
13	Yamuna Vihar	C-5/138	34.65	71,37,900/-



## **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

## नीलामी की तिथिः 13 मार्च, 2013

क्रo संo	कॉलोनी का नाम	प्लॉट संख्या	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित मूल्य (रूपये मे)
1	पीतम पुरा	एफ-1-यू/11	162.44	5,53,92,040/-
2	पश्चिम विहार	ए-4/401	73.50	2,50,63,500/-
3	विवेक विहार फेज—॥	ए-131	123.69	2,84,48,700/-
4	रोहिणी, सै.–18, पाकेट–एच–3	10 (कॉर्नर)	200.00	7,48,00,000/-
5	रोहिणी, सै.–18, पाकेट–एच–3	11 (कॉर्नर)	200.00	7,48,00,000/-
6	रोहिणी, सै.–18, पाकेट–एच–3	12	200.00	6,80,00,000/-
7	रोहिणी, सै.–18, पाकेट–एच–3	53 (कॉर्नर)	200.00	7,48,00,000/-
8	रोहिणी, सै.–18, पाकेट–एच–3	67 (कॉर्नर)	200.00	7,48,00,000/-
9	रोहिणी, सै.–18, पाकेट–एच–3	68	200.00	6,80,00,000/-
10	रोहिणी, सै.–20, पाकेट–16	102	200.00	3,60,00,000/-
11	रोहिणी, सै.–20, पाकेट–16	135	200.00	3,60,00,000/-
12	रोहिणी, सै.–8, एफ–19	59	120.00	4,08,00,000/-
13	द्वारका, पाकेट-बी/10, सै13	31	179.59	4,26,70,584/-

### नीलामी की तिथिः 14 मार्च, 2013

क्र० सं०	कॉलोनी का नाम	प्लॉट संख्या	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित मूल्य (रूपये मे)
1	ज़फराबाद	ए-39 (कॉर्नर)	140.00	2,20,22,000/-
2	ज़फराबाद	बी-32 (कॉर्नर)	140.00	2,20,22,000/-
3	ज़फराबाद	बी-77	138.18	1,97,59,740/-
4	ज़फराबाद	सी-17	137.55	1,96,69,650/-
5	द्वारका, पाकेट—बी/10, सै.—13	32	179.59	4,26,70,584/-
6	विकास पुरी	सी-500	103.04	3,50,33,600/-
7	विकास पुरी	सी-666	108.04	3,67,33,600/-
8	विकास पुरी	सी-136 (कॉर्नर)	160.00	5,98,40,000/-
9	यमुना विहार	सी-10/131	126.00	2,59,56,000/-
10	यमुना विहार	सी-10/171	69.72	1,43,62,320/-
11	रोहिणी,सै.—15,पाकेट—जी—17	18	90.00	3,06,00,000/-

## नीलामी की तिथिः 15 मार्च, 2013

क्र० सं०	कॉलोनी का नाम	प्लॉट संख्या	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित मूल्य (रूपये मे)
1	रोहिणी, सै.–1, पाकेट–डी–1	17	31.69	63,38,000/-
2	रोहिणी, सै.–1, पाकेट–डी–1	549	31.69	63,38,000/-
3	रोहिणी, सै.–2, पाकेट–7	62 (कॉर्नर)	33.48	73,65,600/-
4	रोहिणी, से.–3, पाकेट–डी–15	26	31.69	63,38,000/-
5	रोहिणी, से.–3, पाकेट–ई–18	149	31.69	63,38,000/-
6	रोहिणी, सै.–4, पाकेट–ए–4	146	31.69	63,38,000/-
7	रोहिणी, सै.–6, पाकेट–सी–4	247	31.69	63,38,000/-
8	रोहिणी, सै.–6, पाकेट–सी–4	269	31.69	63,38,000/-
9	रोहिणी, सै.–6, पाकेट–सी–5	268	31.69	63,38,000/-
10	रोहिणी, सै.–7, पाकेट–जी–23	173	31.69	63,38,000/-
11	रोहिणी, सै.–8, पाकेट–ए–2	45	31.69	63,38,000/-
12	रोहिणी, सै.—11, पाकेट—4, ब्लॉक—जी	192	31.69	63,38,000/-
13	यमुना विहार	सी-5/138	34.65	71,37,900/-

#### **SPECIMEN OF THE AFFIDAVIT (I)**

The affidavit should be on non-judicial stamp paper of Rs.10/- and must be attested by a Magistrate/Sub Judge/Notary (if attested by Notary a notarial stamp of Rs. 5/- affixed on it).

	nri/Mrs./Miss
S/o	,W/o, D/o R/o
Эel	hi/New Delhi do hereby solemnly affirm and declare as under:-
1.	That neither I nor my wife/husband and of any of my minor/dependent children or dependent parents, dependent minor sisters/brothers, ordinally residing with me own in full or in part on Lease hold, free-hold house/flat nor have been allotted on hire purchase basis a residential land or house exceeding 67 sq.mtrs. in Union Territory of Delhi.
2.	I have not transferred any residential plot/house or flat to anyone nor have I transferred my membership of any Co-operative Housing Building Society/C.G.H.S. in Delhi in favour of any one.
3.	I have attained the age of majority. My date of birth is and I am a citizen of India.
	DEPONENT
/EI	RIFICATION:
of p	e above named do hereby solemnly affirm and declare that the contents ara 1,2,3 above are correct and nothing therein has been concealed or suppressed. ified at Delhi/New Delhi on this day of2013.
	DEPONENT
	SPECIMEN OF THE AFFIDAVIT(II) S/o,W/o,D/o
<del></del>	Delhi/New Delhi do hereby solemnly affirm and declare
	ınder:-
1. 2.	That I am unmarried on the date of auction.  That I will inform the Lessor when I am married and apply for inclusion of name of my wife/husband immediately after my marriage.
	DEPONENT
	VEDICICATION.
h	VERIFICATION:           ave above named do hereby solemnly affirm and declare that the
con	tents of para 1&2 above are correct and nothing therein has been concealed or suppressed.
day	ified at Delhi/New Delhi on this2013.
Vot	

If the affidavit is attested by Notary Public affixation of notarial stamp worth Rs. 5/- is essential.

The affidavit should be on non judicial stamp paper of Rs. 10/- and must be attested by a Magistrate/

1.

2.

Sub-judge/Notary.

## शपथ-पत्र का नमूना (1)

	पत्र 10 / — रूपये के नॉन—जूडिशियल स्टाप पेपर पर होना चाहिए और मजिस्ट्रेट / सबजज / नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। यदि द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए तो इस पर 5 / — रूपये की नोटोरियल स्टांप लगी होनी चाहिए।)
	/श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / पत्नी / पुत्री श्री
निवास <u>ी</u>	।विल्ली / नई दिल्ली एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से प्रतिज्ञान और घोषणा करता / करती हूँ:
1.	कि न मैं और न ही मेरी पत्नी /पित तथा मेरा कोई अवयस्क /आश्रित बच्चा या आश्रित माता—पिता, आश्रित अवयस्क बहन /भाई जो सामान्यतः मेरे साथ रहते हैं, पट्टाधारिता मकान / फ्लैट का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामी है और न ही संघ राज्य—क्षेत्र दिल्ली में किराया—खरीद आधार पर 67 वर्ग मी. से अधिक कोई भूमि या मकान आबंटित किया गया है।
2.	मैंने कोई आवासीय प्लॉट / मकान या फ्लैट किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया है और न ही मैंने दिल्ली के किसी सहकारी भवन निर्माण सोसायटी / सी.जी.एच.एस. की अपनी सदस्यता किसी व्यक्ति के पक्ष में अंतरित की है।
3.	मैं अपनी जन्म तिथिके अनुसार व्यस्क हो गया / गयी हूँ और मैं भारत का / की नागरिक हूँ।
	अभिसाक्षी
सत्याप	नः
	नामितरावाचा एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और घोषणा करता / करती हूँ कि उक्त पैरा 1,2,3 में दिया वरण सही है और उनमें कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।
	माह 2013 केदिन को दिल्ली / नई दिल्ली में सत्यापित किया जाता है।
	अभिसाक्षी
शपथ—	-पत्र का नमूना (2)
निवासी	
1.	कि मैं नीलामी की तिथि को अविवाहित हूँ।
2.	कि जब मेरा विवाह हो जाएगा तब मैं पट्टाकर्ता को सूचित कर दूंगा और अपने विवाह के तुरन्त बाद अपनी पत्नी / पित का नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर दूंगा / दूंगी।
	अभिसाक्षी
सत्याप	नः
	नामितराष्ट्रिया करता / करती हूँ कि उक्त पैरा 1,2,3 में दिया वरण सही है और उसमें कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।
	माह 2013 केदिन को दिल्ली / नई दिल्ली में सत्यापित किया जाता है।
टिप्पणी	

यदि शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए तो इस पर 5 रूपए की नोटोरियल स्टांप लगायी जानी अनिवार्य है।

1.

2.

होना चाहिए।

यह शपथ—पत्र 10 / — रूपये के नॉन—जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और किसी मजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित

#### **UNDERTAKING**

This should be on non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and must be attested by a Magistrate/ Sub-judge/Notary (if attested by Notary, a notarial stamp of Rs.5/- should be affixed on it).

1.	I, S/o,W/o,D/o Shri/
	R/o
	do hereby undertake as under
2.	That I or my wife/husband undertake that we or any of our dependent relations includin unmarried dependent children, till they attain the age of majority will not acquire any other Lease hold/free hold residential plot /flat from the Delhi Development Authority/President of India/Municipal Corporation of Delhi.
	DEPONENT
1.	Witness:
	Name
	Address
2.	Witness:
	Name
	Address

#### Note:

- 1. The undertaking should be on non judicial stamp paper of Rs.10/- duly attested by a Magistrate/Sub-Judge/Notary.
- 2. If the undertaking is to be attested by a Notary affixation of Notarial Stamp of Rs.5/- is essential.

#### वचन बंध-पत्र

(यह वचन बंध—पत्र 10 / — रूपये के नॉन—जूडिशियल स्टांप पेपर पर होना चाहिए और किसी मजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए। यदि इसे नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाए तो इस पर 5 रूपए की नोटरी स्टांप भी लगाई जाए।)

1.	मैंएतदद्वारा निम्नानुसार वचन देता / देती हूँ :
2.	कि मैं अथवा पत्नी / पित वचन देता / देती हूँ कि हम अथवा हमारा कोई आश्रित संबंधी, जिनमें अविवाहित आश्रित बच्चे भी शामिल हैं, जब तक वे व्यस्क नहीं हो जाएंगे, तब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण / भारत के राष्ट्रपित / दिल्ली नगर निगम से कोई अन्य लीज होल्ड आवासीय प्लॉट / फ्लैट प्राप्त नहीं करेंगे।
	अभिसाक्षी
(1) गव	ाह
	नाम
	पता
(2) गव	ाह
	नाम
	чता

#### टिप्पणी:

- 1. यह वचन बंध—पत्र 10 /— रूपये के नॉन—जूडिशियल स्टांप पेपर पर होना चाहिए और किसी मजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित होना चाहिए।
- 2. यदि वचन बंध-पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित किया जाए तो इस पर 5 रूपए की नोटरी स्टांप चिपकाना भी आवश्यक है।



#### **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

#### **BID APPLICATION FORM**

(Read the Terms & Conditions carefully before filling)

Place:

Affix Stamp Size Photograph Affix Stamp Size Photograph Price Rs. 525/- only

Application No.

(Officer conducting the auction)

Application by the Highest Bidder for the purchase of the Free Hold rights of Residential Plots under Delhi Development Authority(Disposal of Developed Nazul Lands) Rules-1981

(A)	Particulars of the Intending Purcha		
1.	Name(s) (in block letters) (a)		
	(b)Wife(if married)		<del></del>
2.	Name of Father/Husband		
3.	Date of Birth (a)	(b)_	
	Age on the date of auction (a)	(b)	(c)
4.	Full address (a) Residential		
	(b) Occupational	Tele (O)	Tele (R)
5.	Marital status-Married/Unmarried		
6.	Passport No. (if NRI or PIO)		(Copy of the passport to be attached)
(B)	Particulars of intending purchaser		
	(i) Name of the Public Sector Bank/Fir	ms/Companies	
	(ii) Address with Phone Nos.		
(C)	Particulars of the Auction :		
1.	Date of Auction		
2.	Description of Residential Plot		
	a) Locality:		
	b) Plot Number :		
	c) Area (in sq. mtrs.)		
3.	Amount of Bid: Rs.	(Rupees	only)
4.	Details of Earnest Money deposited (	equal to 25% of bid amount)	
5.	a) Pay order/Bank Draft No		Date
	Amount Rs.	(Rupees	Dateonly)
	1.	4.	
	2.	5.	
	3.	6.	
	DELHI	DEVELOPMENT AUTHO	DRITY
			ly on my behalf of the intending purchaser above named
Develop			If the residential plot described above under the Delhi and understood the terms and conditions of auction and
I/We the accordar	intending purchaser (s) will pay balance premince with the said conditions.		execute the conveyance deed in the form prescribed in
I/We inte	nding purchaser(s) will submit the necessary und	dertaking and affidavit within a week.	
			Signature(s)of the Highest
			Bidder(s) or on Behalf of the intending Purchaser(s) above mentioned
Date:			Counter Signed by



## नीलामी बोली आवेदन पत्र (फार्म भरने से पहले निबंधन एवं शर्ती

को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।)

स्टांप साइज का फोटो चिपकाएं

स्टांप साइज का फोटो चिपकाएं

मूल्य रू. 525/—	केवल
प्रार्थना–पत्र संख्या	

(1910	त्र बोलीदाता द्वारा आवेदन पत्र।		
(ক)	इच्छुक क्रेता का विवरणः		
1.	* * *		
(ख)	,		
2.	,		
3.	` '	(ख)	
		(ख)	
4.			
		टेलीफोन (कार्यालय)	
5.			
6.	पासपोर्ट संख्या (यदि अनिवासी भारतीय,	/भारतीय मूल का व्यक्ति)	(पासपोर्ट की प्रति संलग्न की जाए)
	, ,	/ कम्पनी का नाम	
(ग)	नीलामी का विवरण		
1.	नीलामी की तिथि		
2.			
	(ख) प्लॉट नंबर		
	(ग) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)		
3.	बोली राशिः रुपये	(केवल	रुपए)
4.	जमा की गई बयाना राशि का विवरण (बो	,	
5.			
	राशिः रुपये	(केवल	रुपये)
	1.	4.	
	2.	5.	

Ť	में ∕ हम अधोहस्ताक्षरी	, ऊपर या	उल्लिख	ात नीलामी	ामें सर्वोच्च	बोलीदात	ा हेने व	के कारण,	एतद्द्वारा र	ऊपर नामि	त इच्छुक	खरीदार व	र्ग ओर	से दि	ल्ली	विकास प्रा	धिकरण (	विकसित	। नजूल भू	मे का वि	नेपटान)	नियम,	1981 व	ते
3	भंतर्गत ऊपर वर्णित ३	गवासीय प्ल	नॉट के प्र	ने होल्ड अ	धिकार खर्र	ोदने हेतु f	देल्ली '	विकास प्र	ाधिकरण में	आवेदन क	रते हैं।													

सर्वोच्च बोलीदाता के अथवा ऊपर नामित इच्छुक खरीदार के हस्ताक्षर

दिनांकः ..... (नीलामी संचालन अधिकारी स्थानः ..... के प्रति हस्ताक्षर)

जितना जिन्द पानेत जानाताव साह प्रे क्रो हारेख जावकार खराबन हुनु विस्ता विकास कावकर ने जावदन करते हैं। मैंने / हम इच्छुक खरीदार, शेष प्रीमियम और अन्य राशि यदि कोई हो, का भुगतान और उक्त शर्तों के अनुसार निर्धारित फॉर्म में पट्टा विलेख निष्पादित करेंगे। मैं / हम इच्छुक खरीदार एक सप्ताह के अंदर आवश्यक वचनबंध—पत्र और शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे।